न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन,प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत

कार्यवाही विवरण पत्रिका द

प्रार्थना पत्र संख्या – 07/2025

अनवान :– धनाराम बनाम सरकार

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनाक पत्र ज इस आज्ञा के पालानार्थ प्रेषित किया गया
20.03.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील रणजीतसिंह निर्वाण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रिपोर्ट सीगेदार की रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को दिनांक 11.08.2008 को जरिए आंवटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पंचपीठ की ढाणी के खसरा नंबर 56/2 में 50 बीघा बारानी भूमि का अस्थाई से स्थाई आंवटन किया गया जिसकी 25 प्रतिशत राशि भी प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई परंतु उक्त भूमि का आंवटन आदेश आदिनांक तेक जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त भूमि का बेदखल करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसमें उपनिवेशन तहसील गजनेर एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम पंचपीठ की ढाणी के खसरा नंबर 56/2 की भूमि निम्नानुसार सीएडी चकों में पैमूद हुई – चक 5 पीडब्ल्यूएम के मुरबा नंबर 215/3/9 के कि0न0 23ता25 में 3 बीघा, मु0न0 215/3/13 के कि0न0 18 ता23 में 6 बीघा, मु0न0 235/1/2 के कि0न0 1ता4, 7ता10 में 8 बीघा, मु0न0 मु0न0 215/3/14 के कि0न0 1ता9, 12ता15, 19 में 14 बीघा, मु0न0 215/3/10 के कि0न0 2ता5, 8 में 5 बीघा कुल 36 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थी धनाराम पुत्र भाणाराम भाट का कब्जा है। मु0न0 215/3/10 के कि0न0 5,25 में 2 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज है एवं मौके पर जलहॉज बने हुए हैं। मु0न0 215/3/14 के कि0न0 10,11,20 में 3 बीघा, मु0न0 215/3/10 के कि0न0 6,7, 11ता20 में 12 बीघा कुल 15 बीघा भूमि धांधलों की ढाणी आबादी क्षेत्र दर्ज है व आबादी बसी हुई है। मु0न0 215/3/10 के कि0न0 23,24 में 2 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय धांधलों की ढाणी के नाम से दर्ज है। मौके पर स्कूल भवन बना हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी का अस्थाई से स्थाई आंवटन की पूर्ण भूमि पर कब्जा नहीं है जिससे सुविधा का संतुलन नहीं बनता है और न ही प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर पडता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	